

रजिस्टर्ड ए० डी०

भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो  
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय  
माखूपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर-305002  
ई मेल:- [ro.ajmer@ibm.gov.in](mailto:ro.ajmer@ibm.gov.in)



Government of India  
Ministry of Mines  
Indian Bureau of Mines  
Office of the Regional Controller of Mines.  
Makhupura Industrial Area, Ajmer -305002  
Ph-145-2695165 / 2695476 Fax--2695202

No RAJ/BSW/Mag -1

Date-11/1/2018

प्रेषित M/S Asian Mining Associates, Survey no 536, Pavagadh road, Near National Weigh Bridge, Halol- 389350 (Gujrat).

विषय: राजस्थान राज्य के Banswara जिले में स्थित आपकी Kala Khunta Magnese खान (18.898 ha) हैक्टे में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियमों का उल्लंघन (खान कोड संख्या 40RAJ03001)

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 17.11.2017 को उपरोक्त खान के निरीक्षण में पाया गया है कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन किया है।

नियम

उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्योरा

- 11(1) The Mining operations had not been carried out in accordance to the approved Mining Plan (approved dt.23/9/2016) up to the extent as below.  
1.As per para 3.0, page 36 & Para 8.3.5, page 55, the proposed garland drain of 250m length has not been constructed so as to prevent the wash off from the dumps entering it to local into local drainage system..
- 26(2) The annual report of compliance of protective, reclamation & rehabilitation work of PMCP required to be submitted each year before 1<sup>st</sup> July of the year had not been submitted.
- 45 (5)(b) The monthly returns of the mine for the Month of Aug 2017 & onwards have not been submitted to the Regional Controller of the Mines.
- 45(5)(c) The annual returns of the mine for the year 2015-16 & 2016-17 have not been submitted to the Regional Controller of the Mines.
- 55 (1)(c) The appointment of whole time Mining Engineer & Whole time Geologist with prescribed qualifications & Experience have not been appointed.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियम 58 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

( एच.सी.शर्मा )

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर ।

2 खनि अभियन्ता, Banswara को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो